मध्य प्रदेश शासन वन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल

-- संक्षेपिका :--

भोपाल दिनांक जुलाई 2003

विषय:- अवैध कटाई हेतु उत्तरदायित्वों का निर्धारण।

-----0-----

वनों का संरक्षण,संवर्धन एवं प्रबंधन का उत्तरदायित्व वन विभाग का है। वनों में होनेवाली अवैध कटाई ,अतिक्रमण इत्यादि के लिए राज्य शासन द्वारा समय--समय पर आदेश जारी किये जाते रहे हैं तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रथमत: दिनांक 17--11--1977 को अवैध कटाई के संबंध में इस आशय के निर्देश जारी किये गये थे कि यदि 1 बीट में अवैध कटाई होती है तो इसके लिए बीटगार्ड, 2 बीटों में अवैध कटाई होने पर परिक्षेत्र सहायक, 2 परिक्षेत्र सहायक वृत्त में अवैध कटाई होने पर परिक्षेत्राधिकारी एवं 2 परिक्षेत्रों में अवैध कटाई होने पर वन मंडलाधिकारी को उत्तरदायी माना जायेगा। उक्त आदेश में उप वन मंडलाधिकारी का कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था। अवैध कटाई होने पर उसके हानि की परिगणना हेतु भी समय--समय पर मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण) द्वारा आदेश जारी किये गये हैं। उक्त आदेशों के पालन में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कुछ कठिनाईयों के संबंध में जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई जिसके तारतम्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा श्री मुहम्मद हाशिम, तत्कालीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(प्रशासन) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास) मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), मुख्य वन संरक्षक (विकास), तथा वन संरक्षक भोपाल को सदस्य के रूप में नामांकित किया गया ।

2/ उत्तरदायित्व निर्धारण के संबंध में अनुशंसा करने हेतु समिति के लिए निम्नानुसार विचार बिन्दु निर्धारित किये गये :--

(1) अवैध कटाई के परिमाण के आंकलन की वर्तमान प्रक्रिया व मापदण्ड का अध्ययन।

(2) कमांक--1 के आधार पर इसमें युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव तैयार करना।

(3) अवैध कटाई हेतु दायित्व निर्धारण के वर्तमान आदेशों/निर्देशों का अध्ययन।

(4) कमांक--3 के आधार पर युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव तैयार करना।

(5) विभिन्न स्तर के कर्मचारियों/अधिकारियों बीट गार्ड रेंज असिस्टेंट रेंज आफीसर उप वन मंडलाधिकारी व वन मंडलाधिकारी के संबंध में अवैध कटाई नियंत्रण व कार्यवाही के संबंध में वर्तमान स्थिति का अध्ययन।

(6) क्रमांक-5 के परिप्रेक्ष्य में युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव तैयार करना।

3/ समिति द्वारा प्रथमतः राज्य शासन द्वारा जारी आदेशों का अध्ययन किया गया एवं विचार मंथन किया गया। समिति द्वारा राज्य शासन के आदेश दिनांक 16/11/1977 को अव्यवहारिक माना गया क्योंकि इस आदेश में कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा वन सुरक्षा हेतु किये गये प्रयासों पर ध्यान न देते हुए हानि के विस्तार के आधार पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के संबंध में निर्देश हैं तथा इस संबंध में व्यवहारिक निर्देश जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई जिसमें कि किसी कर्मचारी अधिकारी द्वारा वन सुरक्षा हेतु उनसे अपेक्षित प्रयास किये गये हैं तो अवैध कटाई होने पर वे कर्त्तव्य की अवहेलना के दोषी नहीं माने जावेंगे। इस संबंध में समिति द्वारा यह भी अनुशंसा की गई है कि प्रत्येक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों उत्तर दायित्व स्पष्ट होने चाहिए किन्तु इनके समस्त उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। फिर भी इस संबंध में मार्गदर्शक निर्देश दिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की गई है। समिति द्वारा यह भी अनुशंसा की गई है कि किसी प्रकरण विशेष में स्थानीय परिस्थितियों एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के उस समय अन्य शासकीय कार्यों को ध्यान में रखकर उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाये।

4/ संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत वन सुरक्षा/ग्राम वन समितियों तथा राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों के समीप ईको विकास समितियों का गठन किया गया है। समितियों को पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत गठित ग्राम सभाओं के अंतर्गत गठित सार्वजनिक संपदा समिति के साथ समन्वय स्थापित करने के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा दिनांक 25/26 मई 2001 को यह आदेश जारी किया गया था कि वन सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम सभाओं की होगी। उक्त आदेश के परीक्षण पर समिति का यह विचार मत है कि ग्राम सभाओं को वन सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने के फलस्वरूप वन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों की वनों की अवैध कटाई के संबंध जिम्मेदारी निर्धारण में विरोधाभास होता है। शासन के इस आदेश से वन कर्मचारियों की वन सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है अतः समिति इस संबंध में इस आशय की भी अनुशंसा करती है कि क्षेत्रीय अधिकारियों को यह स्पष्ट किया जाये कि वन सुरक्षा के संबंध में विभाग का पूर्ण उत्तर दायित्व है। ग्राम सभा एवं वन समितियों का उत्तरदायित्व विभाग को वन संरक्षण एवं सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देना होगा।

समिति द्वारा अवैध कटाई से हानि की परिगणना के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है:-

i) ठूंठ की गोलाई नापने के लिए उपयुक्त ऊँचाई

मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) के वर्तमान निर्देशों में ठूंठ की गोलाई नापने हेतु 30--40 से.मी. की ऊंचाई निर्धारित है। समिति के विचार में प्रायः सभी प्रजातियों में 30 से.मी. से नीचे ठूंठ की गोलाई का नाप किया जाना अव्यवहारिक है क्योंकि भूमि की सतह में असमानता, वृक्षों की बटरेस होने एवं जमीन की सतह के पास ठूंठ को आग एवं अन्य कारणों से क्षति होने से उनमें [illegible]ति होने की संभावना अधिक रहती है। इस लिए समिति सर्व सम्मति से यह अनुशंसा करती है कि ठूंठ की गोलाई 30--40 से.मी. की ऊंचाई के बीच जिस बिन्दु पर दोष मुक्त गोलाई प्राप्त हो उस स्तर पर नापी जाये एवं इस गोलाई वर्ग में से एक गोलाई वर्ग कम कर फार्म फैक्टर के आधार पर वृक्ष से प्राप्त योग्य अनुमानित काष्ठ का आंकलन किया जावे।

(ii) अवैध कटाई से हुई हानि की गणना.

समिति यह अनुशंसा करती है कि हानि निर्धारण करने के लिए प्रत्येक क्वालिटी क्लास के वनों के लिए. छाती गोलाई श्रेणीवार प्रति वृक्ष की वाणिज्यिक दरें निर्धारित की जावें। पूर्व में मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) द्वारा हानि की गणना हेतु खडे वृक्षों के दर निर्धारित करने के निर्देश दिये गये थे, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न गोलाई वर्ग एवं ऊंचाई वर्ग (Quality class) के वृक्षों से फार्म फेक्टर के आधार पर प्राप्त काष्ठ की वास्तविक रूप से विभिन्न साईज की प्राप्त काष्ठ (पातन पंजी के अनुसार) के अनुपात में विभाजित कर वन संरक्षक द्वारा निर्धारित वाणिज्यिक दरों के आधार पर प्रति वृक्ष दरें निर्धारित की जावें। समिति द्वारा यह महसूस किया गया कि ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार प्रति वृक्ष वाणिज्कि दर निकालना जटिल है। इसलिए समिति अनुशंसा करती है कि कटाई कूपों से प्रत्येक क्वालिटी क्लास में प्रत्येक गोलाई वर्ग के 20--20 वृक्षों से प्राप्त काष्ठ के आयतन एवं उस काष्ठ के डिपो में प्राप्त मूल्य के आधार पर वाणिज्यिक दर की गणना कर प्रत्येक वृक्ष का मूल्य का आंकलन किया जावे। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) विस्तृत निर्देश जारी करेंगे। समिति यह भी अनुशंसा करती है कि वन संरक्षकों को इन निर्देशों का कडाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया जाये एवं एक निर्धारित समय सीमा में वाणिज्यिक दर का निर्धारण कर मुख्यालय को सूचित किया जाये।

(iii) अवैध कटाई से हुई हानि के लिए विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्तर दायित्व का निर्धारण।

1– वनों में होनेवाली अवैध कटाई से हानि के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारण के समस्त आदेश जो इसके पूर्व राज्य शासन द्वारा जारी किये गये है वे अधिक्रमित किये जाते हैं।

2– अवैध कटाई पर नियंत्रण रखने हेतु निर्धारित बीट रोस्टर अनुसार बीटों का निरीक्षण अनिवार्यतः किया जावेगा। बीट निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जावेगा। बीट निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण) द्वारा अनुमोदित किया जावेगा, जिसमें कोई भी परिवर्तन **क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा नहीं किया जावेगा।**

3– बीट निरीक्षण की प्रक्रिया का निर्धारण मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) द्वारा इस प्रकार किया जायेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बीटों का निरीक्षण प्रत्येक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। बीटों के निरीक्षण की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में एक समान रहेगी, जिसमें कोई भी परिवर्तन मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

4 अवैध कटाई के पेड़ों के ठूंठों की गोलाई की माप भूमि सतह से 30–40 सेमी के मध्य जिस बिन्दु पर दोषमुक्त गोलाई प्राप्त हो, उस स्तर पर मापी जायेगी।

5– अवैध रूप से काटे गये वृक्षों की चोरी के फलस्वरूप हुई हानि की गणना हेतु अलग से वाणिज्यिक दरें निर्धारित की जावें, जिसमें प्रत्येक वन वृत्त में विभिन्न गोलाई वर्ग में प्रत्येक गोलाई वर्ग के 20 वृक्षों से प्राप्त वास्तविक काष्ठ का गोलाई वर्गवार पता लगाया जाये एवं उक्त गोलाई वर्ग से प्राप्त काष्ठ का मूल्य उस वर्ष के लिए वृत्त में प्रचलित सामान्य वाणिज्यिक दरों के आधार पर निर्धारण किया जाये। इस प्रकार प्राप्त कुल राशि को 20 से विभाजित करते हुए वृक्ष का मूल्य परिगणित किया जावे। वाणिज्यिक दरों की गणना डिपो में प्राप्त मूल्य से विदोहन व्यय घटाते हुए परिगणित किया जाये। वृक्ष मूल्य के आधार पर ही हानि की राशि की परिगणना की जावे।

6– अवैध कटाई के लिए वन रक्षक से लेकर वन मंडलाधिकारी स्तर तक के अधिकारियों को वन संरक्षण में उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गयाहै। प्रत्येक स्तर के मार्गदर्शी उत्तरदायित्व परिशिष्ट–1 में संलग्न है। उक्त उत्तरदायित्वों के पालन में जिस स्तर पर शिथिलता पाई जाती है, उन स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अवैध कटाई के प्रकरणों में कार्यवाही की जाये।

अवैध कटाई से हुई हानि के संबंध में अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए समिति ने राज्य शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 16-11-1977 को अव्यवहारिक माना है तथा इस संबंध में व्यवहारिक निर्देश चाहे गये है। उक्त का विवरण संक्षेपिका के पैरा-3 में उल्लेखित है। समिति द्वारा अपनी अनुशंसा में यह कहा गया है कि अवैध कटाई से होनेवाली हानि के संबंध में प्रत्येक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्तरदायित्व स्पष्ट होना चाहिए किन्तु चूंकि समस्त दायित्वों का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है फिर भी मार्गदर्शक निर्देश दिये जाने की अनुशंसा समिति द्वारा की गई है। प्रत्येक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु जारी किये जानेवाले मार्गदर्शक निर्देशों का विवरण परिशिष्ट-1 में संलग्न है। इस संबंध में समिति द्वारा यह भी अनुशंसा की गई है कि परिशिष्ट-1 में संलग्न उत्तरदायित्वों के अलावा किसी प्रकरण विशेष में स्थानीय परिस्थितियों एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के उस समय अन्य शासकीय कार्यों को ध्यान में रखकर उत्तरदायित्वों का निर्धारण अवैध कटाई से हानि के प्रकरणों में किया जाये। अवैध कटाई से हुई हानि के संबंध में समिति द्वारा इस आशय की अनुशंसा की गई है कि यदि कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का पालन किया गया है तो ऐसे में अवैध कटाई में हुई हानि की वसूली वन कर्मचारियों से नहीं की जाये।

समिति की अनुशंसा में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा सहमति दी गई है तथा राज्य शासन के आदेश दिनांक 16/11/1977 को निरस्त करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

राज्य शासन द्वारा अवैध कटाई में होने वाली हानि के उत्तरदायित्व निर्धारण के संबंध में इस आशय के आदेश जारी किये गये थे कि यदि एक बीट में वन हानि हो तो उसके लिए बीट गार्ड उत्तरदायी होगा। एक से अधिक बीटों में नुकसानी होने पर रेंज सहायक स्तर के कर्मचारी को दोषी माना जायेगा एक सर्किल से अधिक क्षेत्र में अवैध कटाई होने पर रेंज अफीसर को जिम्मेदार माना जायेगा। तथा एक से अधिक रेंज में नुकसानी हो तो वन मंडलाधिकारी को दोषी माना जायेगा । उक्त आदेश में उप वनमंडलाधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था। समिति द्वारा इस आदेश को अव्यवहारिक माना गया है एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भी यह चाहा गया है कि उक्त आदेश निरस्तीपित किया जाये। समिति की अनुशंसा में यद्यपि वर्तमान निर्देशों में कोई व्यापक परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया गया है परन्तु समिति द्वारा जो अनुशंसित किया गया उसके आधार पर निम्नानुसार आदेश जारी किया जाना प्रस्तावित हैं :-

7 यदि समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन किया गया है तो हानि की राशि का अपलेखन सक्षम स्तर से किया जावे।

(सुधीर पंवार)
अपर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन वन विभाग